न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—340/2012/223 आर.टी.एक्ट (2012/00055)

1. काना पुत्र माधू, जाति माली (करोडीवाल), निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर । **(फौत)**
   1/1 केसर बेवा काना
   1/2 भैरूलाल पुत्र काना
   1/3 रामनिवास पुत्र काना जाति माली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती मानी बेवा काना
2. रागदेव पुत्र काना
3. बदरीलाल पुत्र काना
4. श्रवण पुत्र काना
5. रामकिशन पुत्र काना
6. प्रेम पुत्री काना पत्नी सुखलाल
   समस्त जाति माली, निवासी केकडी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
7. सीता पुत्री काना पत्नी कालू, जाति माली, निवासी टोडारायसिंह, जिला टोंक।
8. रतनी बेवा हरदेव माली (मृतक) जरिए वारिसानः—
   8/1 मरीबाई पत्नी काना) जाति माली, निवासी बरसी
   8/2 घीसीबाई पत्नी घीसा) तहसील टोडा, जिला टोंक।
9. छोटू पुत्र ज्वारा (मृतक) जरिए वारिसानः—
   9/1 तेजू पुत्र छोटू) जाति माली, निवासी केकड़ी
   9/2 शंकर पुत्र पोखर) तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
   9/3 नाथी पत्नी पोखर)
   9/4 इन्द्रा पुत्री पोखर पत्नी शंकर, निवासी बघेरा, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
   9/5 प्रेम पुत्री पोखर पत्नी कजोड निवासी नरसरदा, तहसील देवली जिला टोंक।
   9/6 बिदाम पुत्री छूटू जाति माली, निवासी बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
   9/7 सीता पुत्री छोटू पत्नी रामचंद्र, जाति माली, निवासी टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।
10. कालू पुत्र नाथा उर्फ नाथूलाल, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
11. नारायणी पुत्री नाथा उर्फ नाथूलाल, निवासी हाल पारा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
12. देववाई बेवा श्रीलाल (मृतक) जरिए वारिसानः—
    12/1 जगदीश पुत्र श्रीलाल)
    12/2 घीसी पत्नी किरतूरा) जाति माली, निवासी केकड़ी
    12/3 महावीर पुत्र किरतूरा) तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
    12/4 पप्पू पुत्र किरतूरा)
13. राजी पुत्री श्रीलाल पत्नी राधाकिशन (मृतक) जरिए वारिसानः—
    13/1 रामदेव पुत्र राधाकिशन) निवासी जूनियां तहसील केकड़ी,
    13/2 लच्छू पुत्र राधाकिशन) जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

13/3 लाली पुत्री राधाकिशन, निवासी बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

14. रतनी बेवा धन्ना, जाति माली, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

15. सुगनी पुत्री धन्ना पत्नी सत्यनारायण माली, निवासी महुवा छान जिला टोंक।

16. शंकरलाल पुत्र मकना **(फौत)**

16/1 गीता पुत्र शंकरलाल पत्नी चतराजी, जाति माली, निवासी हाडी जी का कुंड के पास, टोडारायसिंह जिला टोंक।

16/2 रामलाल पुत्र शंकरलाल

16/3 गोविन्द पुत्र शंकरलाल

16/4 मनभर देवी पत्नी स्व0 रामधन (रामधन पुत्र शंकरलाल)

16/5 राजेन्द्र पुत्र स्व0 रामधन) नावालिग जरिए संरक्षक

16/6 राजकुमारी पुत्री स्व0 रामधन) माता मनभरदेवी पत्नी

16/7 सुरेन्द्र पुत्र स्व0 रामधन) स्व0 रामधन

सभी जाति माली, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

17. रामकिशन पुत्र सुन्दरा

समस्त जाति माली, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 26.03.2012 अंतर्गत वाद संख्या 175/99.

उपस्थितः—

1. श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलांटस ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 05.
3. श्री एस.पी. औझा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9/1, 12/1, 12/2, 13/1
4. श्री रामदेव सैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 17
5. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 18
6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 6 से 8, 9/2 से 9/7, 10, 11, 12/3, 12/4, 13/2, 13/3, 14 से 16 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—02.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 175/99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट को जरिए सम्मन तलब किया गया जिस पर दिनांक 16.12.99 को प्रतिवादी संख्या 10, 13, 18, 21, 22 की ओर जरिए अभिभाषक उपस्थिति दी गई और जवाब हेतुसमय चाहा गया। प्रतिवादी संख्या 2, 5, 7, 9, 15, 17 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पत्रावली उपस्थित आए प्रतिवादीगण के जवाब एवं बकाया प्रतिवादीगण के तलबी में चलती रही। दिनांक 5.12.2000 को प्रतिवादी संख्या 6, 11, 8, 19 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 19.5.2001 को प्रतिवादी संख्या 1.3.4 के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात दिनांक 24.9.2003 को प्रतिवादी संख्या 10, 13, 18, 21 व 22 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रस्तुत कर जवाबदावे में संशोधन चाहा गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा दिनांक 12.12.2003 को उक्त प्रार्थना पत्र अपने आदेश से स्वीकार कर लिया। जिस पर दिनांक 16.1.2004 को उक्त प्रतिवादीगण की ओर से संशोधित जवाबदावा पेश किया गया और पत्रावली पुनः तनकीयात कायम करने वास्ते नियम कर दी गई जिस पर दिनांक 17.3.2004 को संशोधित तनकीयात कायम की गई और प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने प्रकरण में उभयपक्ष पक्षकारान की बहस सुनकर बिना प्रदर्शित हुए राजस्व रिकार्ड का गलत तौर पर अध्ययन कर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य को पूर्णतया नजरअंदाज कर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को अनुचित महत्व देते हुए सरसरी तौर पर कयासों के आधार पर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.3.2012 के द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 175/99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक संख्या 05, 9/1,12/1, 12/2, 13/1 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 17 एवं उनके अभिभाषक बरवक्त बहस उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 6 से 8, 9/2 से 9/7, 10, 11, 12/3, 12/4, 13/2, 13/3, 14 से 16 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होकर तारीख पेशी दिनांक 28.3.2023 नियत है। अपीलांट अपने पक्ष समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत करना चाहते हैं– नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल इकरारनामा बंटवारा की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल आधार जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल खसरा परिशोधन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल खसरा परिशोधन पत्र (उत्ताधिकार) की प्रमाणित प्रतिलिपि, जो प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज है जो प्रकरण के निस्तारण में सहायक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र वर्ष 1999 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें कि प्रतिवादीगण सख्या 10, 13, 18, 21 व 22 द्वारा वर्ष 2004 में संशोधित जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था जिसमें भी प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में हुए किसी भी बंटवारे अथवा सम्वत 2058 की कथित जमाबंदी में हो रहे इंद्राजात बाबत अभिवचन नहीं किया गया था एव ना ही सम्वत 2058 की जमाबंदी प्रदर्शित ही की गई थी फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के अभिवचनों, कायम तनकीयात एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

साक्ष्य में प्रदर्शित दस्तावेज को कतई अनदेखा करते हुए किसी अप्रदर्शित एवं साक्ष्य में अपठनीय दस्तावेज के आधार पर संयुक्त खातेदारी की आराजी का पूर्व में बंटवारा होना प्रतीत होना मानकर तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी निर्णित की गई जो कि प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध एवं मनमाना निर्णय है। वाद प्रस्तुत करने के रोज सम्वत 2041 की जमाबंदी प्रभाव में थी जिसमें कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है एवं तत्पश्चात दौराने दावा यदि भू–प्रबंध विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पर्वू में हो रहे इंद्राजात में परिवर्तन कर भी दिया जाता है। तो वह प्रारम्भ से ही शून्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी/अपीलांट पर था जिसके समर्थन मे वादी/अपीलांट ने अपने वाद पत्र के साथ वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 प्रदर्श 1 प्रस्तुत की थी जिसमें स्वयं वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से दर्ज है और उक्त वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खाते की आराजीयात है। साथ ही गिरदावरी सम्वत 2054–57 प्रदर्श 2 प्रस्तुत की गई। स्वयं विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय करते समय यह माना कि वाद वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होना प्रकट होता है परंतु आगे विचारण न्यायालय ने इस तनकी का निर्णय करते समय सम्वत 2058 की जमाबंदीयां जो उक्त प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत की थी, को आधार बना लिया जो प्रदर्श ही नहीं हुई थी। परंतु फिर भी उन जमाबंदियों के आधार पर विचारण न्यायालय ने कयासों के आधार पर यह मान लिया कि उक्त संयुक्त खाते की वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के बीच में संभावित बंटवारा हो जाना प्रतीत होता है और उक्त तनकी का निर्णय खिलाफ वादी कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 21 व 22 के विवादित आराजीयात से सरोकार नहीं होने से संबंधित थी, का निर्णय बडे ही विचित्र तरीके से किया गया है तनकी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 21 व 22 को अनावश्यक पक्षकार बनाए जाने के कारण दावा खारिज होने योग्य बाबत थी जिसमें कि विचारण न्यायालय द्वारा विक्रय–पत्र प्रदर्श डी–1 एवं डी–2 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 21 व 22 का विवादित आराजीयात से संबंध होना मानने के बावजूद भी उक्त तनकी का निर्णय अस्पष्ट रूप से प्रतिवादीगण संख्या 21 व 22 के पक्ष में निर्णित किया है जो कि अपने आप में विरोधाभासी है प्रतिवादी संख्या 21 द्वारा कोई विक्रय–पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 22 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में से विशिष्ट भू–भाग बाबत निष्पादित होने के कारण वादी के हक व अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 21 व 22 का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध होना नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी संख्या 21 व 22 को पक्षकार मात्र संयुक्त खातेदारी की आराजी में खातेदारान के कब्जे काश्त में दखलंदाजी का प्रयास किए जाने पर उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने हेतु पक्षकार बनाया गया था। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एंव अभिवचनों को समक्षे बिना ही तनकी संख्या 2 का निर्णय जिस प्रकार से विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है वह निरस्त किए जाने योग्य हैं। तनकी संख्या 3 का निर्णय पारित किए जाते समय जवाबदावे की मद संख्या 5 के आधार पर सम्पर्ण विवादित आराजीयात में वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं होना माना गया है जबकि वादी द्वारा कुल 19 खसरा नम्बरान बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जबकि जवाबदावे की मद संख्या 5 में मात्र 3 खसरा नम्बर 1643, 1644, 5874 के संबंध में अभिवचन लिए गए है जिसके संबंध में कोई भी विक्रय पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एवं प्रदर्शित नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

के समक्ष प्रदर्शित दोनों कथित विक्रय पत्र प्रदर्श डी–1 व डी–2 मात्र खसरा नम्बर 5875 बावत है जो कि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में विना विधिक बंटवारा करावाए विशिष्ट भू–भाग का बेचान होने के कारण वादी के हक व अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य एंव वोईड दस्तावेज है तथा ऐसे सूरत में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 एंव उसके संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का विश्लेषण व विवेचन किए विना ही कयासों के आधार पर संभवतया बंटवारा होना प्रतीत होना एवं प्रतिवादी संख्या 21 व 22 का कब्जा माना जा सकना वर्णित करते हुए सरसरी तौर पर तनकी संख्या 3 का निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। प्रतिवादी संख्या 10, 13, 18, 21, 22 द्वारा पूर्व में दिनांक 13.02.2002 को जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों का जवाव आदेश 8 नियम 2 लगायत 5 जा0दी0 के प्रावधानानुसार प्रस्तुत ना कर अस्पष्ट एवं विधि विरूद्ध रूप से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था जो सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावे की परिभाषा में नहीं आता है एवं साथ ही उक्त हजवाबदावे की मद संख्या 5 में उक्त प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 1643, 1644, 5875 से अपना कोई भी संबंध किसी भी प्रकार का नही होना कथन किया गया था जवकि इन्हीं प्रतिवादीगण द्वारा कालांतर में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रस्तुत कर पूर्व के जवाबदावे में किए गए अभिवचनों से सर्वथा विपरीत अभिवचन किए जाने हेत संशोधन चाहा गया जिसे कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के प्रावधान एंव सुस्थापित विधिक सिद्धांत के विपरीत जाकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त संशोधन की अनुमति दी गई जिससे उक्त प्रतिवादीणग द्वारा दिनांक 16.1.2004 को अपने पूर्व के अभिवचनों से कतई विपरीत अभिवचन लेते हुए संशोधित जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो कि किसी भी सूरत में पत्रावली पर रखने जाने योग्य नहीं था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रतिवादीगण द्वारा संशोधित जवाबदावे में भी पूर्व में हुए किसी विभाजन अथवा कथित जमाबंदी सम्वत 2058 में हो रहे इंद्राजात बावत कोई अभिवचन नहीं किया गया था। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र भी आदेश 8 नियम 2 लगायत 5 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत नहीं होने के कारण जवावदावे की परिभाषा में नहीं आता है एव ना ही जवाबदावे के रूप में पढा जा सकता था। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपने ही अभिवचनों जिनसे कि उक्त प्रतिवादीगण विबंधित थे, के विपरीत प्रतिवादीगण को संशोधित जवावदावा प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने में एवं तत्पश्चात उन्हीं के आधार पर तनकी संख्या 2 का निर्णय किए जाने में त्रुटि कारित की है जो अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 175/99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2012 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट 5, 9/1, 12/1, 12/2, 13/1 ने सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 के जवाव/बहस में कथन किया कि उक्त दस्तावेज जो पेश किये है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किये जा सकते थे क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ही वादी था तथा उक्त दस्तावेज प्रकरण के निर्णय में कैसे सहायक है प्रार्थना पत्र में कथन नहीं किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र का अव प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट 5, 9/1, 12/1, 12/2, 13/1 ने बहस में कथन किया कि वादी स्वयं ही विक्रय-पत्र को मानता है, जवाब के पैरा 5 में खसरा नम्बर अंकित किए है जो प्रतिवादी ने खरीदे है, अतः उसमें वादी का कोई लेना देना नहीं है वादी का एडमिशन है कि इन नम्बर पर प्रतिवादी का कब्जा महावीर ने कहा है कि वादग्रस्त जमीनों को नहीं जानता है विश्वसनीय नहीं है विक्रय पत्र को चैलेंज नहीं किया है प्रतिवादी के 3 खसरा नम्बर को यथावत रखते हुए बंटवारा करे तो आपत्ति नहीं है प्रतिवादी संख्या 21 व 22 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था परंतु वादी उक्त तनकी को सावित करने में असफल रहे। वादी द्वारा प्रस्तुत जमावंदी संख्या 2058 के खाता संख्या 188, 845 व 1500 के अवलोकन से प्रकट होता है कि संख्या 2041 के संयुक्त खातेदारो के खाते संख्या 2058 में पृथक पृथक हो चुके है जो कि संभवतः बंटवारे के कारण होना प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में खाता संयुक्त होना व बंटवारा किए जाने का औचित्य वादी सावित नहीं कर सके अतः तनकी खिलाफ वादी निर्णित की गई। प्रतिवादी संख्या 21 व 22 को पक्षकार बनाया है जिनका विवादित आराजी से कोई वास्ता सरोकार नहीं है इसलिए वादी का दावा खारिज योग्य है। प्रतिवादी ने अपने समर्थन में प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रदर्श डी-1 के अनुसार दिनांक 15.7.76 को धन्ना पुत्र श्रवण लाल जाति माली द्वारा श्री रामनिवास पुत्र सुन्दरा जाति माली निवासी केकडी को आराजी खसरा नम्बर 5875 का 1/2 भाग बेचान किया जाना जाहिर आया है तथा प्रदर्श डी-2 विक्रय पत्र दिनांक 19.6.73 के द्वारा श्री लाल पुत्र श्रवण जाति माली द्वारा रामाकिशन वल्द चन्दा जाति माली को आराजी खसरा नम्बर 5875 में 1/2 हिस्सा बेचान करना जाहिर आया है, दोनो विक्रय पत्रों से प्रस्तुत जमावंदी संख्या 2065 तक खाता संख्या 1582 रामकिशन वल्द सुन्दरा कौम चाली क नाम दर्ज हो चुकी है, तथा विक्रय पत्र का इंद्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना भी नहीं पाया जाना प्रकट होता है चूंकि क्रयशुदा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 21 व 22 का विक्रय पत्र में अंकित लिखावट कब्जा संभला दिया से कब्जा होना जाहिर होता है तथा स.2041 के संयुक्त खातेदारो के खाते संख्या 258 में पृथक-पृथक हो चुके है जो कि संभवतः बंटवारे किये जाने का औचित्य वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साविक नहीं पाये इसलिए तनकी संख्या 01 भी उनके वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण जरिये नोटिस जारी किये गये और दावे में जवाब दावा प्राप्त होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई, तनकीयात पर पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई करते हुए, दावे का निरस्तारण तनकीवार किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

8. हमनें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। बाद प्रस्तुत दस्तावेज जो राजस्व से सम्बन्धित है तथा राजकीय दस्तावेजात एवं दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है, जो विवादित आराजीयात से सम्बन्धित होने से प्रकरण के न्याय निर्णय में सहायक है। प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख अपील पर लिए जाते है।**

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि

वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत बंटवारा एंव स्थाई निशेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.3.2012 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद बाबत चार तनकीया कायम कर विधिवत रूप से उक्त तनकीयों बाबत वादी एवं स्वतंत्र गवाहों के बयानात लिपिबद्ध कर विधिनुसार उक्त निर्णय दिनांक 26.3.2022 पारित किया है, वादग्रस्त आराजीयात बाबतत पक्षकरों के मध्य पूर्व में ही बंटवारा हो चुका था तथा उक्त बंटवारनामा पक्षकारों के मध्य इकरारनामा/बंटवारानामा के द्वारा पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त आराजीयात बाबत विधिवत रूप से निष्पादित हो चुका था तथा उक्त बंटवारनामें बाबत पक्षकर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है, तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत पूर्व में हो चुके बंटवारे बाबत वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः बंटवारे का राजस्व वाद प्रस्तुत कर दिया जिसे कि अधीनस्थ नयायालय द्वारा विधिनुसार अपने आदेश दिनांक 26.3.2022 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया है तथा अपीलांट द्वारा उक्त इकरारनामे/बंटवारनामें को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया गया, तथा उक्त बंटवारनामें/सहमति पत्र पर अपीलांट के पिता के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा इकरारनामें की वैधता को लेकर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की सिविल/क्रिमीनल कार्यवाही नहीं की गई है। जब तक इकरारनामा निरस्त ना हो जाये तब तक अपीलांट अपने पूवजों के कथनो से एस्टोप्ड है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंवित वाद–पत्र का जवाब दावा, बयान तथा अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका तुलनात्मक अध्ययन कर उक्त निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.3.2012 को यथावत किया जाकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 175/99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2012 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंवर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर